



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1936 (श०)  
(सं० पटना 333) पटना, सोमवार, 23 फरवरी 2015

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं  
13 फरवरी 2015

सं० 10/मु० 1-53/2014-99—बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम संख्या-31,1982 की धारा-22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के शिक्षकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार। —(1) यह नियमावली बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) विद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) के विद्यालयों तक होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। —इस नियमावली में, जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :-

- 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- 'विभाग' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग;
- 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981;
- 'बोर्ड' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड;
- 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष;
- 'सचिव' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव;
- 'प्रस्वीकृत' से अभिप्रेत है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत अराजकीय संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) विद्यालय ;
- 'विद्यालय' से अभिप्रेत है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक)
- 'प्रधानाध्यापक' से अभिप्रेत है प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के प्रधानाध्यापक;

- (x) 'सहायक शिक्षक' से अभिप्रेत है प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत विद्यालयों (मध्यमा स्तर तक) के वैध रूप से नियुक्त शिक्षक;
- (xi) 'विद्यालय प्रबंध समिति' से अभिप्रेत है बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2015 के नियमों के अधीन गठित प्रबंध समिति;
- (xii) 'मध्यमा स्तर' तक की अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों से अभिप्रेत है :—  
 (क) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक संस्कृत विद्यालय—वर्ग एक से पांच वर्ग तक।  
 (ख) अराजकीय प्रस्वीकृत मध्य संस्कृत विद्यालय—वर्ग छह से आठ वर्ग तक।  
 (ग) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक—सह—मध्य संस्कृत विद्यालय—वर्ग एक से आठ वर्ग तक।  
 (घ) अराजकीय प्रस्वीकृत माध्यमिक संस्कृत विद्यालय—वर्ग छह से दस वर्ग तक।  
 (ङ) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक—सह—उच्च संस्कृत विद्यालय—वर्ग एक से दस वर्ग तक।
- (xiii) 'आधुनिक विषय' से अभिप्रेत है (i) मानविकी विषय समूह (ii) विज्ञान विषय समूह (iii) गणित (iv) व्यावसायिक विषय समूह (v) ललित कला (vi) गृह विज्ञान।

3. सेवा/संवर्ग का गठन—इस अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में विद्यालयवार निम्नलिखित दो उप संवर्ग होंगे—

- (i) अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों का प्रधानाध्यापक का पद।  
 (ii) अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों का सहायक शिक्षक का पद।

4. अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का पदसोपान/प्राधिकृत बल—

- (i) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक संस्कृत विद्यालय — 02 शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित)  
 (ii) अराजकीय प्रस्वीकृत मध्य संस्कृत विद्यालय — 04 शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित)  
 (iii) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय — 06 शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित)  
 (iv) अराजकीय प्रस्वीकृत माध्यमिक संस्कृत विद्यालय — 07 शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित)  
 (v) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय — 07 शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित)

5. आरक्षण—राज्य के सभी अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

6. नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया/भर्ती —(1) विद्यालय के शिक्षक के पदों पर सीधी नियुक्तियाँ राज्य के कम से कम दो मुख्य हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में सम्यक रूप से विज्ञापन निकालने के बाद की जा सकेगी।

(2) प्रधानाध्यापक का पद को विद्यालय के अर्हता प्राप्त वर्तमान शिक्षकों में से प्रोन्नति देकर भरा जा सकेगा। प्रोन्नति हेतु अर्हता प्राप्त शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रधानाध्यापक के पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(3) विद्यालय विज्ञापन के प्रारूप पर सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा। इस प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापित पद का नाम, रोस्टर के अनुरूप रिवित, अपेक्षित अर्हताएँ, उपलब्धियाँ और अन्य संबंधित विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट रहेंगी।

(4) विद्यालय प्रबंध समिति, विज्ञापन के आलोक में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का एक लिस्ट तैयार करेगी एवं एक पखवारे के भीतर निबंधित डाक द्वारा नोटिस देकर साक्षात्कार के लिए ऐसे प्रत्याशियों को बुलायेगी जो विज्ञापन के अनुरूप अर्हता रखते हों। साक्षात्कार के लिए (तिथि का निर्धारण, इस प्रकार बुलाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार) विशेष रूप से बुलाई गई साधारण बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

समिति साक्षात्कार की तिथि की पूर्व सूचना अध्यक्ष/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को देगी। अध्यक्ष/सचिव बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना स्वयं या अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु भेजेंगे। इनकी अनुपस्थिति में विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। साक्षात्कार के बाद एक मेधा सूची बनेगी, जिस पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा।

(5) यदि प्रत्याशी, प्रधानाध्यापक या समिति के किसी सदस्य/विशेषज्ञ का संबंधी हो, तो प्रधानाध्यापक या ऐसे सदस्य/विशेषज्ञ साक्षात्कार के पहले, वास्तविक संबंध की सूचना बोर्ड को देगा एवं साक्षात्कार में भाग नहीं लेगा। अगर साक्षात्कार में भाग लिया एवं उक्त तथ्य को छिपा दिया, तो उसके संबंधी की नियुक्ति अवैध मानी जायेगी, लेकिन अन्य नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) समिति भरे जाने वाले प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार किये गये सभी प्रत्याशियों की नामिका अधिमान्यता क्रम में साक्षात्कार में दिये गये अंकों एवं शैक्षणिक योग्यता में दिये गये वेटेज अंक के आधार पर पैनल तैयार करेगी।

पैनल निर्माण हेतु साक्षात्कार एवं शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के अंक निम्न तालिका के अनुसार होंगे :-		
क्र०	साक्षात्कार-20 अंक	शैक्षणिक योग्यता-80 अंक
01	प्रबंध समिति द्वारा लिया गया साक्षात्कार 20 अंकों का होगा।	<p>(i) मध्यमा/मैट्रिक स्तर के पद हेतु- शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-37 अंक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-43 अंकों का होगा।</p> <p>(ii) उप-शास्त्री/इन्टरमिडिएट स्तर के पद हेतु - शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-37 अंक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-43 अंकों का होगा।</p> <p>(iii) शास्त्री/स्नातक स्तर के पद हेतु- शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-37 अंक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-43 अंकों का होगा।</p> <p>(iv) आचार्य/स्नातकोत्तर स्तर के पद हेतु- शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-37 अंक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अधिकतम-43 अंकों का होगा।</p>

**7. अंकों का निर्धारण । -**

विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा विभिन्न कोटि के विद्यालयों में भरे जाने वाले प्रत्येक पद के लिए पात्रता/अर्हता एवं उसके निमित्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्न प्रकार किया जायेगा :-

(क) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक संस्कृत विद्यालय ।- अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के दो पद होंगे। जिनकी पात्रता/अर्हता निम्नवत होगी।

- |      |               |                          |
|------|---------------|--------------------------|
| (i)  | प्रधानाध्यापक | -उप शास्त्री उत्तीर्ण    |
| (ii) | सहायक शिक्षक  | -मध्यमा/मैट्रिक उत्तीर्ण |

उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नरूपेण होगा -

- (1) शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 37 अंक)- मध्यमा/मैट्रिक/उप शास्त्री परीक्षा का प्राप्तांक :-
- |       |                          |          |
|-------|--------------------------|----------|
| (i)   | 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत | -24 अंक  |
| (ii)  | 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत | - 26 अंक |
| (iii) | 75 प्रतिशत एवं उससे उपर  | - 29 अंक |

(2) प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विहित योग्यता से इतर उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी को निम्न प्रकार से वेटेज अंक दिया जायेगा :-

- |       |  |
|-------|--|
| (i)   | इन्टरमिडिएट/उप शास्त्री-02 अंक   |
| (ii)  | स्नातक/शास्त्री- 05 अंक(इन्टरमिडिएट/उप शास्त्री के अंकों सहित)           |
| (iii) | स्नातकोत्तर/आचार्य- 08 अंक(स्नातकोत्तर/आचार्य/उप शास्त्री के अंकों सहित) |
- (3) प्रशैक्षणिक योग्यता (43 अंक)- बी0 एड/दो वर्षीय प्रशिक्षण/परीक्षा का प्राप्त प्राप्तांक :-
- |       |                          |         |
|-------|--------------------------|---------|
| (i)   | 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत | -32 अंक |
| (ii)  | 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत | -38 अंक |
| (iii) | 75 प्रतिशत एवं उससे उपर  | -43 अंक |

(ख) अराजकीय प्रस्वीकृत मध्य संस्कृत विद्यालय- अराजकीय प्रस्वीकृत मध्य संस्कृत विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के 04 (चार) पद होंगे जिनकी योग्यता/अर्हता निम्नवत होगी :-

- |      |               |  |
|------|---------------|--|
| (i)  | प्रधानाध्यापक | -शास्त्री (त्रिवर्षीय) उत्तीर्ण  |
| (ii) | सहायक शिक्षक  | -01(एक)पद-इन्टरमिडिएट/उपशास्त्रीउत्तीर्ण<br>02 (दो) पद - मध्यमा/मैट्रिक उत्तीर्ण |

(1) उपरोक्त प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवतहोगा -

- शैक्षणिक योग्यता(अधिकतम 80 अंक) शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा का प्राप्तांक
- |       |                          |         |
|-------|--------------------------|---------|
| (i)   | 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत | -47 अंक |
| (ii)  | 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत | -60 अंक |
| (iii) | 75 प्रतिशत एवं उससे उपर  | -73 अंक |

(2) विहित योग्यता से इतर आचार्य योग्यता वाले अभ्यर्थियों को वेटेज अंक निम्नवत दिया जायेगा —

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 03 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 05 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 07 अंक

नोट : (i) 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक पद के योग्य नहीं होंगे।

(ii) प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा :—

(1) शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 37 अंक)—इन्टरमिडिएट/उप शास्त्री/मध्यमा/मैट्रिक परीक्षा का प्राप्तांक :—

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 24 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 26 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 29 अंक

प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विहित योग्यता से इतर उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी को वेटेज अंक निम्नवत दिया जायेगा :—

- (i) इन्टरमिडिएट/उप शास्त्री — 02 अंक
- (ii) स्नातक/शास्त्री — 05 अंक
- (iii) स्नातकोत्तर/आचार्य — 08 अंक

(2) प्रशैक्षणिक योग्यता (43 अंक)—बी0 एड/दो वर्षीय प्रशिक्षण परीक्षा का प्राप्त प्राप्तांक :—

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 32 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 38 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 43 अंक

(ग) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय।— अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के 06 (छह) पद होंगे। जिनकीपात्रता/अर्हता निम्नवत होगी :—

- (i) प्रधानाध्यापक — शास्त्री (त्रिवर्षीय) उत्तीर्ण
- (ii) सहायक शिक्षक — 01(एक)पद—इन्टरमिडिएट/उपशास्त्री उत्तीर्ण  
04 (चार) पद— मध्यमा/मैट्रिक उत्तीर्ण

(1) उपरोक्त प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा :—

(क) शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 80 अंक)—शास्त्री (त्रिवर्षीय) परीक्षा का प्राप्तांक :—

- (i) 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 47 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 60 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 73 अंक

(ख) विहित योग्यता से इतर आचार्य योग्यता वाले अभ्यर्थियों को वेटेज अंक निम्नवत दिया जायेगा :—

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 03 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 05 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 07 अंक

नोट : उपरोक्त प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

(2) उपरोक्त उप शास्त्री/इन्टरमीडिएट स्तर के सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा।

(क) शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 37 अंक) — उप शास्त्री/इन्टरमीडिएट का प्राप्तांक।

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 24 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 26 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 29 अंक

विहित योग्यता से इतर उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को वेटेज अंक निम्नवत दिया जायेगा :—

- (i) स्नातक/शास्त्री उत्तीर्ण — 05 अंक
- (ii) स्नातकोत्तर/आचार्य उत्तीर्ण — 08 अंक (स्नातक/शास्त्री के अंक सहित)

(ख) प्रशैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 43 अंक)— बी0 एड0/दो वर्षीय प्रशिक्षण परीक्षा का प्राप्त प्राप्तांक :—

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 32 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 38 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 43 अंक

(3) उपरोक्त मध्यमा/मैट्रीक उत्तीर्ण पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का निर्धारण निम्नवत होगा :-

(क) शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 37 अंक) – मध्यमा/मैट्रीक परीक्षा का प्राप्तांक :-

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत – 24 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत – 26 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर – 29 अंक

विहित योग्यता से इतर उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से वेटेज अंक दिया जायेगा –

- (i) इन्टरमिडिएट/शास्त्री (द्विवर्षीय)/उप शास्त्री – 02 अंक
- (ii) स्नातक/शास्त्री – 05 अंक
- (iii) स्नातकोत्तर/आचार्य – 08 अंक

(ख) प्रशैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 43 अंक) – बी0 एड0/दो वर्षीय प्रशिक्षण परीक्षा का प्राप्तांक –

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत – 32 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत – 38 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर – 43 अंक

(घ) अराजकीय प्रस्वीकृत माध्यमिक संस्कृत विद्यालय । – अराजकीय प्रस्वीकृत माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के 07 (सात) पद होंगे। जिनकी योग्यता/अर्हता निम्नांकित होगी।

- (i) प्रधानाध्यापक – आचार्य उत्तीर्ण
- (ii) सहायक शिक्षक – 02 (दो) पद – आचार्य उत्तीर्ण  
04 (चार) पद – स्नातक उत्तीर्ण

(जिसमें 02 पद कला एवं 02 पद विज्ञान विषय के होंगे)

(1) उपरोक्त प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा :-

(1) शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 80 अंक) – आचार्य परीक्षा का प्राप्तांक –

- (i) 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत – 53 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत – 67 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर – 80 अंक

नोट :- (i) 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक पद के पात्र नहीं होंगे।

(ii) प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

(2) उपरोक्त आचार्य योग्यताधारी सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा :-

- (i) 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत – 53 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत – 67 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर – 80 अंक

उक्त कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

(3) उपरोक्त स्नातक सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा :-

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 37 अंक) :-

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत – 24 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत – 26 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर – 29 अंक

नोट : विहित योग्यता से इतर स्नातकोत्तर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को निम्नवत वेटेज अंक दिया जाएगा।

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत – 02 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत – 05 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर – 08 अंक

नोट : प्रशैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 43 अंक) – बी0 एड0/दो वर्षीय प्रशिक्षण का प्राप्तांक।

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत – 32 अंक
- (ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत – 38 अंक
- (iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर – 43 अंक

(ङ) अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय । – अराजकीय प्रस्वीकृत प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के 07 (सात) पद होंगे। जिनकी योग्यता/अर्हता निम्नांकित होगी।

- (i) प्रधानाध्यापक – आचार्य उत्तीर्ण

- (ii) सहायक शिक्षक — 02 (दो) पद— आचार्य उत्तीर्ण  
04 (चार) पद— स्नातक उत्तीर्ण  
(जिसमें 02 पद कला एवं 02 पद विज्ञानविषय के होंगे)

(1) उपरोक्त प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा :—

- (1) शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 80 अंक)— आचार्य परीक्षा का प्राप्तांक—  
(i) 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 53 अंक  
(ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 67 अंक  
(iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 80 अंक

नोट :—(i) 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक पद के पात्र नहीं होंगे।

(ii) प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

(2) उपरोक्त आचार्य योग्यताधारी सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा :—

- (i) 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 53 अंक  
(ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 67 अंक  
(iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 80 अंक

उक्त कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

(3) उपरोक्त स्नातक सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का अवधारण निम्नवत होगा :—

- शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 37 अंक) :—  
(i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 24 अंक  
(ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 26 अंक  
(iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 29 अंक

नोट : विहित योग्यता से इतर स्नातकोत्तर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को निम्नवत वेटेज अंक दिया जाएगा।

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 02 अंक  
(ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 05 अंक  
(iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 08 अंक

नोट : प्रशैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 43 अंक) — बी0 एड0/दो वर्षीय प्रशिक्षण का प्राप्तांक।

- (i) 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत — 32 अंक  
(ii) 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत — 38 अंक  
(iii) 75 प्रतिशत एवं उससे उपर — 43 अंक

नोट :— उपर्युक्त सभी पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता में कम से कम द्वितीय क्षेणी में उत्तीर्णता अनिवार्य है।

**8. नामावली नामिका का अनुमोदन ।**—(1) समिति साक्षात्कार के एक सप्ताह के भीतर निम्न दस्तावेजों के साथ तीन नामावली नामिका सूची सहायक शिक्षक के मामले में, सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को तथा प्रधानाध्यापक के मामले में अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को अनुमोदन के लिए निम्नलिखित साक्ष्य के साथ भेजेगी:— (i) विज्ञापन की एक प्रति (ii) मेधा सूची (सभी आवेदकों का) (iii) सारणीबद्ध विवरण जिसमें सभी आवेदकों के नाम, अर्हताएं और अन्य विशिष्टियां दी रहे (iv) सभी आवेदकों का मूल आवेदन की छायाप्रति तथा प्रशंसा पत्र और अनुलग्नक।

(2) अध्यक्ष/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड समिति की अनुशंसाओं की जांच करेंगे। समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित या अन-अनुमोदित अथवा अधिमानता क्रम में हेर फेर करके उसे उपान्तरित कर समिति के पास एक मास के भीतर उत्तर भेज देंगे। जब अध्यक्ष/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन या उपान्तरण करें तब ऐसा करने का लिखित कारण संसूचित किया जायेगा।

(3) यदि समिति अध्यक्ष/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित हो तो उसे आदेश प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पास अपील करने का अधिकार होगा।

(4) विद्यालय प्रबंध समिति उपर्युक्त विहित प्रक्रिया के अनुपालन उपरान्त नियुक्त शिक्षकों का अनुमोदन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा किया जायेगा। उनकी नियुक्ति के संबंध में विवाद होने की स्थिति में विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विवाद का निबटारा किया जायेगा।

**9. परिवीक्षा एवं अवधि ।**—अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के किसी शिक्षक के पद पर नियुक्ति जबतक वह स्थायी न हो, तब तक प्रारंभ में दो वर्षों के लिये परिवीक्ष्यमान आधार पर की जायेगी। परन्तु, परिवीक्ष्यमान नियुक्ति केवल स्थायी रिक्ति में ही की जायेगी।

**10. सम्पुष्टि ।**— शिक्षक केस्थायी पद पर परिवीक्ष्यमान रूप से नियुक्त व्यक्ति दो वर्षों की परिवीक्ष्यमान अवधि समाप्त होने पर संपुष्ट कर दिया जायगा, यदि विशिष्ट कारणों से समिति के संकल्प द्वारा यह अवधि और भी एक वर्ष के लिये न बढ़ा दी जाय या संपुष्टि रोक न रखी जाय।

**11. प्रोन्नति ।**—(1) जब कभी समिति किसी पद को अपने ही शिक्षकों के बीच से प्रोन्नति देकर भरने का विनिश्चय करे तब वह इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलाई गई साधारण बैठक में सभी पात्र शिक्षकों के मामले पर विचार करेगी। उसके बाद सभी उम्मीदवारों की नामिका तैयार करेगी, एवं प्रोन्नति दिये गये उम्मीदवारों को चुनने का कारण एवं अन्य उम्मीदवारों को न चुनने का कारण देते हुए, अध्यक्ष/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को बोर्ड के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

(2) माध्यमिक विद्यालय के संबंध में प्रधानाध्यापक पद के प्रार्थियों को संस्कृत उच्च विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले संस्कृत विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम उच्च श्रेणी में आचार्य परीक्षोत्तीर्ण तथा किसी प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय या उच्च विद्यालय में कम से कम 05 वर्षों के अध्यापन का अनुभव होना आवश्यक है अथवा पढ़ाये जानेवाले किसी एक संस्कृत विषय में प्राचीन आचार्य के साथ संस्कृत (ऑनर्स) के साथ बी० ए० या संस्कृत में एम० ए० अथवा पढ़ाये जानेवाले संस्कृत विषयों में से किसी एक विषय में (अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्ण नवीनाचार्य के लिए प्रस्वीकृत विद्यालय हाई स्कूल में कम से कम 05 वर्षों का अध्यापन का अनुभव आवश्यक है। प्रशिक्षित प्रार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

संस्कृत शिक्षण एवं प्रशासन संबंधी विशेषानुभव प्राप्त विद्वानों के लिए विशेष विचार किया जा सकता है।

**12. उम्र सीमा ।**—(1) किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक/मध्य/प्राथमिक सह मध्य/माध्यमिक/प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय में नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय।

(2) शिक्षक 62 वर्ष की उम्र हो जाने पर स्वतः सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

**13. अनुशासनिक कार्रवाई ।**—(1) समिति, शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने या लघु या वृहत दंड देने में सक्षम होगी :

परन्तु, दंड देने के पूर्व, शिक्षक को अपने मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर दिया जायगा। प्रबंध समिति के निर्णय से व्यथित व्यक्ति 60 दिनों के भीतर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के यहां अपील दायर कर सकता है एवं अध्यक्ष सभी पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देंगे जो अंतिम होगा।

(2) समिति विद्यालय के परिवीक्ष्यमान व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित कोई भी दंड दे सकेगी:-

(क) लघु दंड -  
परिनिन्दा (सेन्सर)।

(ख) वृहत दंड -  
(i) पदावनति।  
(ii) सेवान्मुक्ति।  
(iii) पदच्युति।

(3) समिति संबद्ध व्यक्ति को अपने आचरण के संबंध में सम्यक रूप से लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दे सकेगा और उसमें समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(4) किसी प्रकार कोई बड़ा दण्ड देने से पूर्व सहायक शिक्षक के मामले में प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के मामले में समिति के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा सविस्तार आरोप पत्र तैयार किया जायेगा और समिति संकल्प के द्वारा उस पर निर्णय लेगा। इस प्रकार विरचित आरोप विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें सभी सुसंगत तथ्य दिये रहेंगे ताकि संबद्ध व्यक्ति को साफ-साफ समझ में आ जाय कि इसपर कौन-कौन से आरोप लगाये गये हैं। जहाँ प्रथम दृष्टया आरोप बहुत गंभीर हो और समिति महसूस करे कि -

(क) ऐसे व्यक्ति को विद्यालय की सेवा में बने रहना विद्यालय के अनुशासन और सामान्य भलाई की दृष्टि से अहितकर होगा।

या

(ख) संबद्ध व्यक्ति विद्यालय अभिलेख में उलट फेर अथवा तोड़-मरोड़ कर सकता है अथवा विद्यालय की संपत्ति या साज-समान को अन्य नुकसान पहुंचा सकता है, तो समिति, विशेष संकल्प के द्वारा ऐसे व्यक्ति को निलंबित करने का विनिश्चय कर सकेगा।

(5) जिस व्यक्ति पर कार्यवाही चलायी जाय उसे अपने उपर लगाये गये आरोप, नियम-11 (4) के अधीन अपने निलंबन के एक सप्ताह के भीतर, लिखित रूप से दिये जायेंगे और उसे आरोप पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तारीख से एक पखवारे के भीतर समिति की बैठक बुलाई जायगी और जिसके लिये, हरेक सदस्य को, रजिस्ट्रीकृत डाक या विशेष दूत द्वारा पूरे दस दिनों की नोटिस दी जायेगी। इस बैठक में वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या की दो-तिहाई सदस्यों का कोरम होगा। यदि प्रधानाध्यापक या समिति में शिक्षक या प्रतिनिधि स्वयं आरोप से संबद्ध हो तो वह ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा।

(6)अध्यक्ष/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना की सहमति के बिना कोई प्रधानाध्यापक/शिक्षक तीन महीने से अधिक अवधि के लिये निलंबित न किया जायेगा। प्रधानाध्यापक के मामले में अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की अनुमति के बिना निलंबन आदेश लागू नहीं होगा। निलंबन की अवधि में उसे जीवन निर्वाह भत्ता जो उसके मासिक वेतन जीवन यापन भत्ता सहित का आधा होगा।

(7)संबद्ध व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर सम्यक विचार करने और अनुरोध किये जाने पर उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, समिति, नियम 13 में विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दंड देने या आरोपों से विमुक्त करने का विनिश्चय कर सकेगा। अभियुक्त के आरोपों से विमुक्त किये जाने की स्थिति में निलंबन की अवधि, कर्तव्यस्थ अवधि मानी जायेगी और उस अवधि का पूरा वेतन और भत्ता दिया जायेगा। यदि समिति, बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे तो उस अवधि में निलंबन की अवधि कर्तव्यस्थ नहीं मानी जायेगी।

(8) ऐसे सभी मामले में, जिनमें समिति बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे, ऐसा दंड वास्तव में कार्यान्वित किये जाने के पहले कार्यवाही के सभी अभिलेख और व्याख्यात्मक अग्रपत्र बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पास भेजे जायेंगे। समिति के निर्णय से व्यथित व्यक्ति 60 दिनों के भीतर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पास अपील कर सकेगा एवं अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड सभी पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देगा। बोर्ड अथवा बोर्ड के अध्यक्ष के निर्णय से व्यथित व्यक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पास अपील दायर कर सकेगा। विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण मौका देकर अपना निर्णय देगा।

**14. अवकाश।**—विद्यालयों में नियतावकाश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के अवकाश देय होंगे —

(i) आकस्मिक अवकाश — प्रत्येक पंचांग वर्ष में शिक्षकों के लिए 12 (बारह) दिन आकस्मिक अवकाश के होंगे। प्रधानाध्यापक के द्वारा लिये जानेवाले अवकाश को समिति के सचिव तथा अन्य शिक्षकों के द्वारा लिये जानेवाले अवकाश को विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे। एक बार में यह अवकाश अधिकतम सात दिनों तक दिया जा सकेगा।

आकस्मिक अवकाश में पड़नेवाले नियतावकाश के दिन अवकाश के अंश के रूप में नहीं गिने जायेंगे।

(ii) अर्जितावकाश।— (क) पूरे पंचांग वर्ष की कार्यावधि में प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक पूर्ण वेतन पर तीन दिन यह अवकाश अर्जित करेगा। यह अवकाश तीन वर्षों से कम की सेवा पर अनुमान्य नहीं होगा। यह अवकाश 120 दिनों के अधिक अर्जित होने पर व्ययगत समझा जायेगा।

(ख) पूरे पंचांग वर्ष की कार्यावधि में प्रतिवर्ष प्रधानाध्यापक या अन्य शिक्षक अर्द्धवेतन पर बीस दिनों का अवकाश अर्जित करेगा। यह अवकाश व्ययगत नहीं होगा।

यह अवकाश प्रधानाध्यापक या शिक्षक के स्वयं रुग्णता—प्रमाण—पत्र के आधार पर अर्द्धवेतन के स्थान पर पूर्ण वैतनिक रूप में रूपान्तरित किया जा सकेगा जो उक्त अवकाश का आधा होगा। सचिव, विद्यालय प्रबंध समिति प्रधानाध्यापक के अर्जित अवकाश स्वीकृत करेंगे। जबकि शिक्षकों के अर्जित अवकाश प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे।

(iii) अध्ययन अवकाश— विद्यालय के प्रधानाध्यापक या शिक्षक जो संपुष्ट हो अपने पूरे सेवा काल में उच्च अध्ययन के लिए तीन वर्षों का अवैतनिक रूप में अध्ययन अवकाश ले सकेगा और इस अवकाश के कारण संबंधित व्यक्ति की सेवा संबंधी सुविधाओं में कोई बाधा नहीं होगी। सचिव, विद्यालय प्रबंध समिति, प्रधानाध्यापक के अध्ययन अवकाश स्वीकृत करेंगे। जबकि शिक्षकों का अध्ययन अवकाश प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे।

(iv) मातृत्व अवकाश — महिला शिक्षक 90 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी तथा इसका लाभ मात्र 02 (दो) संतान के लिए अनुमान्य होगा। सचिव, विद्यालय प्रबंध समिति महिला प्रधानाध्यापक के मातृत्व अवकाश स्वीकृत करेंगे जबकि महिला शिक्षक का मातृत्व अवकाश प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे।

(v) विशेष अवकाश — महिला शिक्षक को प्रत्येक माह में दो दिन का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। सचिव, विद्यालय प्रबंध समिति महिला प्रधानाध्यापक का विशेष अवकाश स्वीकृत करेंगे।

**15. प्रकीर्ण।**—(1) दीर्घावकाश में प्रभार।— दीर्घावकाश में प्रधानाध्यापक किसी वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी बना सकता है। प्रभारी अध्यापक को अवकाश की पूरी अवधि का तृतीयांश अवकाश पूर्ण वेतन पर अर्जित अवकाश के रूप में दिया जा सकेगा। दीर्घावकाश में यदि प्रधानाध्यापक स्वयं उपस्थित रहा हो तो उसे कोई अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।

(2) सेवा—पुस्त।— प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों का सेवा—पुस्त रखी जायेगी। प्रधानाध्यापक का सेवा—पुस्त समिति के सचिव एवं सहायक शिक्षक का सेवा पुस्त प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी और सेवा—पुस्त का सत्यापन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा की जायेगी।

(3) वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति।— विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक का गोपनीय चरित्र—पुस्तिका रखी जायेगी। इसमें वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के अन्त में दर्ज की जायेगी। यह पुस्तिका प्रधानाध्यापक की स्थिति में विद्यालय के सचिव, शिक्षक की स्थिति में प्रधानाध्यापक लिखेंगे। प्रधानाध्यापक की स्थिति में विद्यालय के सचिव प्रधानाध्यापक की गोपनीय चरित्र—पुस्तिका लिखकर सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के यहां भेज देंगे जो अपनी अभ्युक्ति उसपर दर्ज करेंगे।

यदि किसी विशेष वर्ष में किसी प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक के कार्य के संबंध में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की गई हो तो उसका सुसंगत उदाहरण अगले सत्रारम्भ के तीन माह के भीतर, सम्बद्ध व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा।



यदि प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक यह महसूस करे कि ऐसी प्रतिकूल अभ्युक्ति तथ्यों पर आधारित नहीं है तो प्रधानाध्यापक की स्थिति में अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और शिक्षक की स्थिति में समिति के पास अपील की जा सकेगी। अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड या समिति व्यथित को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद, अपना अन्तिम निर्णय देगी और अपील को या तो अस्वीकृत कर या पूर्ण या आंशिक अभ्युक्ति हटाकर समुचित संशोधन करने का निदेश देगी। बोर्ड अथवा बोर्ड के अध्यक्ष के निर्णय से व्यथित व्यक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पास अपील दायर कर सकेगा। विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण मौका देकर अपना निर्णय देंगे।

(16) **निरसन एवं व्यावृत्ति**।— (1) सभी पूर्व सेवा शर्त नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वनियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्यवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई मानी जायेगी मानो नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्यवाई की गयी थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
आर० के० महाजन,  
प्रधान सचिव।

*The 13th February 2015*

No. 10/Mu 1-53/2014-99—In exercise of the powers conferred under Section 22 of Bihar Sanskrit Shiksha Board Act, 1981 (Bihar Act No. 31, 1982), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the service conditions of the teachers of the Recognised Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard) as follows :-

**1. Short title, extent and commencement** -(i) These Rules shall be called the "Bihar State Non Government Recognised Sanskrit School (up to Madhyama Standard) Teacher Service Conditions Rules, 2015.

(ii) It shall extend to the Recognised Non-Government Sanskrit Schools (up to Madhyama Standard) of the whole of the state of Bihar.

(iii) It shall come into force at once.

**2. Definitions** -In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -

- (i) 'Government' means Government of Bihar;
- (ii) 'Department' means Education Department;
- (iii) 'Act' means Bihar Sanskrit Shiksha Board Act, 1981;
- (iv) 'Board' means Bihar Sanskrit Shiksha Board, constituted under the Act, 1981;
- (v) 'Chairman' means Chairman of The Bihar Sanskrit Shiksha Board;
- (vi) 'Secretary' means Secretary of The Bihar Sanskrit Shiksha Board;
- (vii) 'Recognition' means Recognised Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard) from the Government of Bihar Education Department, Patna;
- (viii) 'School' means Recognized Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard) from The Education Department;
- (ix) 'Headmaster' means Headmaster of recognized Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard);
- (x) 'Assistant teacher' means legally appointed Assistant Teacher of a recognized Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard);
- (xi) 'Managing Committee' means School Managing Committee of Recognised Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard) constituted under School Managing Committee Rules, 2015.
- (xii) 'Recognised Non-Government Sanskrit School (up to Madhyama Standard) means:-

- (i) Recognised Non-Government Primary Sanskrit School - From Class I to V
- (ii) Recognised Non-Government Middle Sanskrit School - From Class VI to

- (iii) Recognised Non-Government Primary cum Middle Sanskrit School - From Class I to VIII
- (iv) Recognised Non-Government Madhyamik Sanskrit School - From Class VI to X
- (v) Recognised Non-Government Primary Cum High Sanskrit School - From Class I to X
- (xiii) Modern subject means -
  - (i) Manviki subject group
  - (ii) Science subject group
  - (iii) Mathematics
  - (iv) Vocational subject group
  - (v) Lalit Kala
  - (vi) Home Science

### **3. Constitution of Service/Cadre -**

There will be following two sub Cadre School wise in Recognized Non-Government Sanskrit Schools -

- (i) The post Principal of Recognised Non-Government Sanskrit Schools.
- (ii) The posts Assistant Teachers of Recognised Non-Government Sanskrit School.

### **4. Hierachy and authorised Strength of Teachers of Recognised Non-Government Sanskrit School -**

- (i) Recognised Non-Government Primary Sanskrit School :- 02 Teacher (including Headmaster)
- (ii) Recognised Non-Government Middle Sanskrit School :- 04 Teacher (including Headmaster)
- (iii) Recognised Non-Government Primary cum Middle School: - 06 Teacher (including Headmaster)
- (iv) Recognised Non-Government Madhyamik Sanskrit School :- 07 Teacher (including Headmaster)
- (v) Recognised Non-Government Primary Cum High Sanskrit School :- 07 Teacher (including Headmaster)

**5. Reservation-**Provisious of reservation/roster determined by the State Government, time to time, shall apply in the appointment and promotion of the teachers of Recognised Non-Government Sanskrit School of the State.

**6. Appointment and Process of appointment/Recruitment .-(1)** Direct appointments to the posts of teacher of the school shall be made after duly published advertisement in at least two prime Hindi daily newspapers of State level.

(2) The Post of Headmaster shall be filled up from amongst the qualified present teachers by gining promotion. In case of non availability ofqualified teacher for promotion the post of Head master will be filed up by direct recruitment.

(3) The School shall obtain prior approval of the Secretary Bihar Sanskrit Shiksha Board on the format of advertisement. In addition to other things name of the post of advertisement, vacancy as per reservation roster, required eligibility, achievement and other related qualification shall be specified in the format.

(4) School Managing Committee, shall prepare a list of all applications obtained and call such candidates for interview by issuing notice through registered post within 15 days who have the qualification in confirmity with the advertisement. The members of the Committee shall be present in the General Meeting specially called for the determination of date for interview of so called for candidates.

The Committee shall fix the date of interview and give prior information to the Chairman/Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna with respect of the aforesaid interview. The Chairman/Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna or his representative will participate in the said meeting. The School Managing Committee shall not conduct interview in absence of representation of the Board. A merit list shall be prepared after the interview which shall be duly signed by all the members.

(5) If a candidate is relative of Headmaster or any member/expert then such a Headmaster or member/expert shall give prior information to the Board before interview with respect to his actual relation and shall not participate in the interview. If he participated in the interview and concealed the above fact, then appointment of his concerned relative shall be deemed to be illegal but others appointments of shall not be affected.

(6) That Committee shall prepare a panel of all candidates appeared in the interview for every post to be filled up on the basis of marks given in the interview and weightage points in the educational qualification.

**Marks of interview and Educational/Training qualification for preparation of panel shall be according to the following table:-**

Sl.No.	Interview :- 20 Marks	Education Qualification: -80 Marks.
01	Interview taken by the Managing Committee will be of 20 Marks.	<p>(i) For the post of Madhyama/Matric Standard-maximum 37 marks in educational qualifications and maximum 43 marks in teaching qualifications.</p> <p>(ii) For the post of Upshastri/Intermediate standard-maximum 37 marks in educational qualifications and maximum 43 marks in teaching qualifications.</p> <p>(iii) For the posts Shastri/Graduate Standard; - maximum 37 marks in educational qualifications and maximum 43 marks in teaching qualifications.</p> <p>(iv) For the post of Acharya/Post Graduate Standard-maximum 37 marks in educational qualifications and maximum 43 marks in teaching qualifications.</p>

**7. Determination of mark -** Determination of mark will be made in the following manner on the basis of eligibility qualifications and Educational/Training qualifications for this purposes for each post to be filled up in the schools of different categories by the school Management Committee:-

(A) Recognised Non-Government Primary Sanskrit School - There will be two posts of teacher including Headmaster in Recognised Non-Government Primary Sanskrit School. The qualification/eligibility will be as follows-

(i) Headmaster - Up Shastri pass.

(ii) Assistant Teacher - Madhyama/Matric pass.

Determination of marks of educational/Training qualification of the candidate present in the interview for the post of Headmaster and Assistant Teacher will be as follows-

(1) Educational qualification (maximum 37marks)- Marks obtained in Madhyama/Matric/Up Shastri.

(i) 45 % to 59 % - 24marks.

(ii) 60 % to 74 % - 26marks.

(iii) 75 % and above - 29marks.

(2) In the appointment of Headmaster and Assistant teacher weightage will be awarded to the candidates of higher qualification other than prescribed qualification as follows -

- (i) Intermediate/Up Shastri - 02 marks.
- (ii) Graduate/Shastri - 05 marks (with marks obtained in Intermediate/Up Shastri)
- (iii) Post Graduate/Acharya - 08marks (with marks obtained in Post Graduate/Acharya)

(3) Training qualification (maximum 43marks)- Marks obtained in B.Ed/Two years training .....

- (i) 45 % to 59 % - 32marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 38marks.
- (iii) 75 % and above - 43marks.

(B) Recognised Non-Government Middle Sanskrit School - There will be 4(four) posts of teacher including Headmaster in Recognised Non-Government Middle Sanskrit School of which qualification/eligibility will be as follows -

- (i) Headmaster - Shastri (Three Years) pass.
- (ii) Assistant Teacher - 01 (one) post- Intermediate/Up shastri pass.  
02 (Two) post- Madhyama/Matric pass.

(1) Determination of marks of educational qualification of the candidate present in the interview for the appointment to the post of Head master will be as follows -

Educational qualification (maximum 80 marks)- Marks obtained in Shastri (Three years)

- (i) 45 % to 59 % - 47marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 60marks.
- (iii) 75 % and above - 73marks.

(2) Weightage marks will be awarded to the candidates of Acharya qualification other than prescribed qualification as follows -

- (i) 45 % to 59 % - 03marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 05marks.
- (iii) 75 % and above - 07marks.

Note :- (i) Candidate having less than 55% marks will not be eligible for the post.

(ii) Training qualification is not necessary for the appointment to the post of Headmaster.

Determination of marks of educational qualification of the candidates present in the interview for the appointment to the post of Assistant teacher will be as follows -

(1) Educational qualification (maximum 37marks)- Marks obtained in Intermediate/Up Shastri/Madhyama/Matric.

- (i) 45 % to 59 % - 24marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 26marks.
- (iii) 75 % and above - 29marks.

Weightage marks will be awarded to the candidates of higher qualification other than prescribed qualification as follows -

- (i) Intermediate/Up Shastri - 02 marks.
- (ii) Graduate/Shastri - 05marks
- (iii) Post Graduate/Acharya- 08marks

(2) Training qualification (maximum 43 marks)- Marks obtained in B.Ed/Two years training Examination-

- (i) 45 % to 59 % - 32marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 38marks.
- (iii) 75 % and above - 43marks.

(C) Recognised Non-Government Primary cum Middle Sanskrit School - There will be six posts of teacher including Headmaster in Recognised Non-Government Primary cum Middle Sanskrit School, of which qualification/eligibility will be as follows :-

(i) Headmaster - Shastri (Three Years) pass.

(ii) Assistant Teacher - 01 (one) post - Intermediate/Up shastri pass  
04 (four) post- Madhyama/Matric pass.

(1) Determination of marks will be as follows on the basis of educational qualification of the candidates present in the interview for the appointment to the post of Head master -

(a) Educational qualification (Maximum 80 marks Marks obtained of Shastri Three years)

(i) 55 % to 59 % - 47marks.

(ii) 60 % to 74 % - 60marks.

(iii) 75 % and above - 73marks.

(b) Weightage marks will be as awarded to the candidates of Acharya qualification other than prescribed qualification as follows :-

(i) 45 % to 59 % - 03marks.

(ii) 60 % to 74 % - 05marks.

(iii) 75 % and above - 07marks.

Note - Training qualification is not necessary for the appointment to the post of Headmaster.

2. Determination of marks will be as follows on the basis of Educational/Teaching qualification of the candidates present in the interview for the appointment to the post of Up shastri/Intermediate standard -

(a) Educational qualification (Maximum 37 marks) - Marks obtained in upshastri/Intermediate.

(i) 45 % to 59 % - 24marks.

(ii) 60 % to 74 % - 26marks.

(iii) 75 % and above - 29marks.

Weightage marks will be awarded to the candidates of Graduate/Shastri/Post Graduate/Acharya pass as follows -

(i) Graduate/Shastri - 05 marks.

(ii) Post Graduate/Acharya pass - 08 marks (including marks obtained in Graduate/shastri)

(b) Training qualification (maximum 43 marks) - Marks obtained in B.Ed and Two years training Examination -

(i) 45 % to 59 % - 32marks.

(ii) 60 % to 74 % - 38 marks.

(iii) 75 % and above - 43marks.

(3). Determination of marks will be as follows on the basis of Educational/Teaching qualification of the candidates present in the interview for the appointment on the post of Madhyama/Matric standard -

(a) Educational qualification (maximum 37marks) - Marks obtained in Madhyama/Matric.

(i) 45 % to 59 % - 24marks.

(ii) 60 % to 74 % - 26marks.

(iii) 75 % and above - 29marks.

Weightage marks will be awarded to the candidates having higher qualification other than prescribed qualification as follows -

- (i) Intermediate/Shastri (Two years)/Up shastri - 02 marks.
- (ii) Graduate/shastri - 05marks.
- (iii) Post Graduate/Acharya - 08 marks.

(b) Training qualification (maximum 43marks) - Marks obtained in B.Ed/Two Years training examination-

- (i) 45 % to 59 % - 32marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 38marks.
- (iii) 75 % and above - 43marks.

(D) Recognised Non-Government Madhyamik Sanskrit School - There will be seven posts of teacher including Headmaster in Recongnised Non-Government Madhyamik Sanskrit School of which qualification/eligibility will be as follows -

- (i) Headmaster - Acharya pass.
- (ii) Assistant teacher - 02 (two) posts - Acharya pass.

04 (Four) post - Graduate pass (there will be two post of science and two posts of Arts.

Determination of marks will be as follows on the basis of Educational qualification of the candidate present in the interview for the appointment on the post of Headmaster -

(1) Educational qualification (maximum 80 marks) - Marks obtained in Acharya Examination.

- (i) 55 % to 59 % - 53marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 67marks.
- (iii) 75 % and above - 80marks.

Note - (i) Candidate having less than 55% marks will not be eligible for the post of Headmaster.

(ii) Training qualification is not essential for the appointment to the post of Headmaster.

(2) Determination of marks will be as follows on the basis of Educational qualification of the candidate present in the interview for the appointment to the above post of Assistant teacher of Acharya qualification :-

- (i) 55 % to 59 % - 53marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 67marks.
- (iii) 75 % and above - 80marks.

For the appointment to the post of the said category, Training qualification is not essential.

(3) Determination of marks will be as follows on the basis of Educational/Teaching qualification of the candidate present in the interview for the appointment on the post of Assistant teacher of Graduate qualification -

Educational qualification (maximum 37marks)

- (i) 45 % to 59 % - 24marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 26marks.
- (iii) 75 % and above - 29marks.

Weightage marks will be awarded to the candidate having Graduate qualification other than prescribed qualification as follows -

- (i) 45 % to 59 % - 02 marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 05marks.
- (iii) 75 % and above - 08marks.

Teaching qualification (maximum 43 marks) - Marks obtained in B.Ed/Two Years training course.

- (i) 45 % to 59 % - 32marks.

- (ii) 60 % to 74 % - 38marks.
- (iii) 75 % and above - 43marks.

(E) Recognised Non-Government Prathmic Cum High Sanskrit School - There will be seven posts of teacher including Headmaster in Recongnised Non-Government Prathmic Cum High Sanskrit School of which qualification/eligibility will be as follows -

- (i) Headmaster - Acharya pass.
- (ii) Assistant teacher - 02 (two) posts - Acharya pass.

04 (Four) post - Graduate pass (there will be two post of science and two posts of Arts.

Determination of marks will be as follows on the basis of Educational qualification of the candidate present in the interview for the appointment on the post of Headmaster -

(1) Educational qualification (maximum 80 marks) - Marks obtained in Acharya Examination.

- (i) 55 % to 59 % - 53 marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 67 marks.
- (iii) 75 % and above - 80 marks.

Note - (i) Candidate having less than 55% marks will not be eligible for the post of Headmaster.

(ii) Training qualification is not essential for the appointment to the post of Headmaster.

(2) Determination of marks will be as follows on the basis of Educational qualification of the candidate present in the interview for the appointment to the above post of Assistant teacher of Acharya qualification :-

- (i) 55 % to 59 % - 53 marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 67 marks.
- (iii) 75 % and above - 80 marks.

For the appointment to the post of the said category, Training qualification is not essential.

(3) Determination of marks will be as follows on the basis of Educational/Teaching qualification of the candidate present in the interview for the appointment on the post of Assistant teacher of Graduate qualification -

Educational qualification (maximum 37 marks)

- (i) 45 % to 59 % - 24 marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 26 marks.
- (iii) 75 % and above - 29 marks.

Weightage marks will be awarded to the candidates having Graduate qualification other than prescribed qualification as follows -

- (i) 45 % to 59 % - 02 marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 05 marks.
- (iii) 75 % and above - 08 marks.

Teaching qualification (maximum 43 marks) - Marks obtained in B.Ed/Two Years training course.

- (i) 45 % to 59 % - 32 marks.
- (ii) 60 % to 74 % - 38 marks.
- (iii) 75 % and above - 43 marks.

Note - Educational qualification passed with minimum second division is compulsory for all the above posts.

**8. Approval of Pannel** -(1) Committee shall send three lists of panel of candidates within one week of interview to the Secretary, Bihar Sanskriti Shiksha Board, Patna in case

of Assistant Teacher and to the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna in case of Headmaster for approval of the Board with the following documents- (i) A copy of advertisement (ii) Merit list (of all applicants) (iii) Table wise description of all the applicants, eligibility and other specializations (iv) Photo copy of original application of all applicants and letter of appreciation and annexure.

(2) The Chairman/Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board shall verify the recommendations of the Committee and if it is found that the same needs some changes in the panel at the level of the Board, the same shall be done and returned to the committee, within a month if required and in that case reasons shall be assigned by the Board.

(3) If Committee is aggrieved by the decision of the Secretary, Bihar Sanskrit Education Board it has power to prefer an appeal before the Special Director, Secondary Education, Bihar, Patna within 60 days of such decision.

(4) Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna shall approve the appointed teachers after following the prescribed process by the School Managing Committee. In case of any dispute arising out of their appointment the same shall be settled by Special Director, Secondary Education, Bihar, Patna.

**9. Probation and Period** -The appointment, until it will not permanent, shall be made initially for the period of two years on probation and appointment on probation shall be made only in the permanent vacancy.

**10. Confirmation** -The candidate appointed on probation to the permanent post of teacher will be confirmed after expiry of two years of probation period and due to special reasons, it may be extended for a year by resolution of the committee or confirmation be stepped.

**11. Promotion** -(1) Whenever the Committee decide to fill up any post, by giving promotion, among the teachers, the Committee shall for consider the all cases of all eligible teachers in the meeting called for this purpose. Thereafter list of names of all the candidates shall be prepared, and shall send to the Chairman/Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna for the approval of the Board with reasons for selection and non-selection of respective promoted candidates.

(2) The candidates for the post of Headmaster in respect of Madhyamik Sanskrit School has to pass with a minimum second class in Acharya in any subject of Sanskrit subject taught in Sanskrit High School and maximum teaching experience of five years from High School or any Recognised Sanskrit School is compulsory or Sanskrit (Hons) in B.A with ancient Acharya, in any subject of Sanskrit which is being taught, or M.A in Sanskrit or Navin acharya with English passed in any one subject from Sanskrit subjects which is being taught and minimum five years teaching experience in any High School Recognised Sanskrit School is compulsory. Trained candidates shall be given priority.

A person having specialize experience is Sanskrit teaching and Administrative skill may be considered preferably.

**12. Age**-(1) Minimum age shall be 21 years for the appointment at any person in Primary/Middle Sanskrit School/Primary cum Middle Sanskrit School/Madhymaik /Primary Cum High Sanskrit School. Maximum age limit will be the same as it may be prescribed by the State Government (General Administration Department) from time to time.

(2) The teachers shall be retired after completion of 62 years of age automatically.

**13. Deciplinary Action**-(1) The Committee will be competent to take disciplinary action and awarding major or minor panishment to any teacher.

(2) The Committee may impose any of following punishments to any person including person under probation -

(a) Minor Punishment - Admonition/Censor



(b) Major Punishment -

- (i) Reduction in rank
- (ii) Removal from service
- (iii) Dismissal

(3) The Committee may provide an opportunity for giving due written explanation to the person concerned in respect of his conduct and in that matter decision of Committee will be final.

(4) Before imposing major punishment of any kind, fully described charge sheet shall be prepared by the Headmaster in case of assistant teacher and by the Chairman and Secretary of the Committee in case of Headmaster and the Committee shall take decision by resolution. The charge so framed shall be specific and all relevant facts shall be mentioned therein so that it must be easy to understand to the person concerned about the charges levelled against him. Where Prima facie allegation is very serious and the Committee feels that:-

(a) It shall be undesirable in view of the discipline and common interest of the school to keep such a person in the service of the school,

or

(b) The person concerned may tamper or distort the school records or may create other damages to the property or accessories of the school, then the Committee may decide to suspend such a person by Special Resolution.

(5) The person on whom proceeding initiated shall be given in writing about the allegation labelled against him within one week of suspension under sub rule 11(4) and he shall have to give explanation within 15 days from the date of receipt of Charge sheet. The meeting of the Committee shall be called for within 15 days from the date of receipt of explanation and for this notice of 10 days shall be sent to every member by register post or by special messenger. The quorum of the meeting will be completed by two third members of the present total number of members. If the headmaster or teacher in the Committee or the representative himself is connected with the allegation then he shall not appear in the meeting.

(6) No headmaster/teacher shall be suspended for more than 03 months without consent of the Chairman/Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna. In case of headmaster no suspension order shall apply without the permission of the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board. During period of suspension he shall get subsistence allowance which shall be the half of his monthly salary and Dearness allowance.

(7) The Committee, after due consideration on explanation and giving an opportunity to be heard and on request of the person concerned may decide to impose any major punishment specified under rule 13 discharge from the allegations . In case of discharge from the allegations, the period of suspension will be treated as the period on duty and full salary and allowance of the said period shall be given. If the Committee, decides to impose any punishment under major punishment then the suspension period will not be treated as period on duty.

(8) All the records and speaking order of the proceeding shall be sent to the Bihar Sanskrit Shiksha Board before actual execution of such punishment in all the cases in which the Committee decides to impose any punishment out of major punishment. The person aggrieved by the decision of the Committee may prefer an appeal within 60 days before the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board and the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board after hearing all the parties shall deliver his decision and if any person aggrieved with the decision of the Board or Chairman of the Board he may prefer an appeal within 60 (Sixty)

days before the Special Director, Secondary Education and the Special Director after giving full opportunity to hear the aggrieved and concerned person shall deliver his decision.

**14. Leave** -In addition to fixed leave in the schools the following by postleaves shall be admissible:-

(i) Casual Leave - In every Calendar year 12(Twelve) days casual leave will be admissible to every teacher of Non-Government Sanskrit School. Casual leave of Headmaster of the school will be sanctioned by Secretary of School Managing Committee and Headmaster of the School will sanction the casual leave of all teachers of the School. In one time casual leave will be sanctioned for maximum seven days only and fixed leave in between the period of casual leave will not be counted as part of the casual leave.

(ii) Earn Leave - (a) Every teacher of the school will earn three days leave on full day for the working period of every calendar year. Teaching and Non-teaching staff of the school will earn a maximum of 120 days earn leave. Leave earn more than 120 days will be lapsed.

(b) Every teacher of the school will earn twenty days leave on half pay for working period of every calendar year. It will not be lapsed. It can be converted into full pay on medical certificate and will be half of this leave.

Earn leave of Head master of the School will be sanctioned by Secretary of School Managing Committee and Headmaster of the school will sanction the earn leave of all teacher of the school.

(iii) Study leave - Confirmed teachers and Headmaster of the school can get three years study leave without pay in their whole tenure. Study leave will not affect the service condition of the teacher/Headmaster.

Study leave of Headmaster of the school will be sanctioned by Secretary of Managing Committee while the Headmaster of the School will sanction the study leave to the teachers.

(iv) Maternity leave - Ninety days maternity leave will be admissible to female teacher for two children. The Secretary of School Managing Committee will sanction in case of the woman Headmaster of the School while the Headmaster in case of woman teacher staff.

(v) Special leave - In every month, two days special leave will be admissible for woman teacher and it will be sanctioned by Headmaster of the school. Headmaster the Secretary, School Managing Committee will sanctioned the special leave of the woman Headmaster.

**15. Miscellaneous** -(1) Charge during long leave-During long vacation, the Head master can make acting Head master to any senior teacher. Acting Head master may be given earn leave of one third of total vacation period as leave on full pay whether the head master could earn no leave if he was present during vacation period.

(2) Service Book - In every school service book of every teacher will be maintained. Secretary of the Committee will attest the Service-Book of all teachers of the school. The secretary of Bihar Sanskrit Shiksha Board will verify the service books of all teacher including Head master of the School.

(3) Annual confidential Report -In every school; Annual Confidential Report of every teacher will be maintained. Annual Confidential Report will be written every year after the end of the Session. Secretary of the Committee will write the Annual Confidential Report of the Head master of the School and the Head master will write the Annual Confidential Report of every teacher of the school. In the case of Head master, the Secretary of the school will send the Annual Confidential Report to the Secretary, Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna who will note his remarks. If in a particular year there is adverse

remarks in Annual confidential Report in respect of any teacher. he will be informed within three months of starting of next session. If the Headmaster or assistant teacher thinks that adverse remarks are not based on facts, then in case of Head master, an appeal may be preferred within 60 days before the Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board and in case of teacher an appeal may be preferred within 60 days before the School Managing Committee and The Chairman, Bihar Sanskrit Shiksha Board/ The School Managing Committee after giving full opportunity to be heard to the aggrieved shall deliver his decision and it will either reject the appeal or give direction to change after removing full or part remarks and if any person aggrieved with the decision of the Board or Chairman of the Board he may prefer an appeal within 60 (Sixty) days before the Special Director, Secondary Education and the Special Director after giving full opportunity to hear the aggrieved and concerned person shall deliver his decision.

16. **Repeal & saving** - (1) All the previous service condition Rules, Resolution, orders and instructions are hereby repealed.

(2) Not with standing such repeal, anything done or any action taken under the previous Rules, Resolution, order, instructions, shall be done or take under these Rules as at these Rules were come in to force on such date when such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,  
**R. K. Mahajan,**  
*Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 333-571+1000-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>